न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 14 / 2020

1 राजमन्ती पत्नी श्री हरफुल उम्र 45 साल जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 मु. गुलाबो देवी पुत्री स्व. झुथाराम पत्नी श्री हरिसिंह उम्र 63 साल जाति जाट निवासी बलोदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद दगडोली तहसील चरखी दादरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2 मु. इन्द्रो देवी पुत्री स्व. झुथाराम पत्नी श्री महेन्द्र सिंह उम्र 60 साल जाति जाट निवासी बलोदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद दगडोली तहसील चरखी दादरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
3 मु. संतोष देवी पुत्री स्व. झुथाराम पत्नी श्री दयाचन्द उम्र 57 साल जाति जाट निवासी बलोदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल आबद बारवास तहसील लोहारू जिल महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
4 कर्ण सिंह पुत्र स्व. झुथाराम उम्र 65 साल जाति जाट निवासी बलोदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। दौरने अपील मृतक
4/1 कमला पत्नी स्व. कर्णसिंह जाति जाट निवासी बलौदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 विजयपाल पुत्र स्व. झुथाराम उम्र 53 साल जाति जाट निवासी बलोदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
6 मु. सावित्री देवी पुत्री स्व. झुथाराम पत्नी श्री दयाचन्द्र उम्र 55 साल जाति जाट निवासी बलोदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल आबद बारवास तहसील लोहारू जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
7 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा जरिये शांखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
8 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ दावा उनवानी मु.
गुलाबो देवी वगे. बनाम कर्णसिंह वगै. दावा बाबत
घोषणा, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं.
307/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2017

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 307/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद घोषणार्थ, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 55 गत हाल खसरा नम्बर 178 वाके ग्राम बलौदा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 28.02.2023 को धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जा चुका है। इस आदेश के विरूद्ध माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जो निर्णय दिनांक 10.10.2023 से खारिज की जा चुकी है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं हुई। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलान्ट साक्ष्य सबूत पेश नही कर सकी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 सगे भाई बहिन है। अपीलान्ट ने जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 178 रकबा 5.42 है. सरहद मौजा बलौदा में से 2.00 है. भूमि सहखातेदार रेस्पोडेन्ट सं. 4 से कब्जे सहित उचित प्रतिफल के बदले पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत खरीदी व काबिज काश्त हुई तथा है। उक्त क्रय के रोज जमीन खसरा नम्बर 178 रकबा 5.42 है. के सह खातेदार अपीलान्ट सं. 4 व 5 हिस्सा प्रत्येक 1/2 थे और अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड तथा कब्जे काश्त को देखकर जमीन क्रय की है। इस प्रकार अपीलान्ट एक सद्भाविक क्रेता रही है। अपीलान्ट को विचारण न्यायालय से दावा के सम्मन व दावा की प्रति साधारण डाक अथवा रजिस्टर्ड डाक से कभी भी नहीं मिले। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 ने आपस में साजिश कर ली ओर उक्त साजिस के क्रम में रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपीलान्ट की अशिक्षित होने का नाजायज फायदा उठाकर एक कागज पर अंगूठा निशानी करवाई जो शायद वकालतनामा रहा है और अपीलान्ट की तरफ से व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 6 की तरफ से श्री मदन सिंह राठौड़ वकील का वकालतनामा दिनांक 03.09.2015 को विचारण न्यायालय के यहां प्रस्तुत करवाया जाना प्रकट होता है। उक्त तथ्य की ताईद विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं को देखने से मालूम होता है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के यहां श्री मदन सिंह राठौड़ को अपना वकील नियुक्त नहीं किया। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के यहां प्रकरण की पैरवी करवाने के लिये कभी भी वकालतनामा को समझकर उस पर अंगूठा निशानी नहीं की है। अपीलान्ट को विचारण न्यायालय के यहां प्रस्तुत दावा की पहले कभी भी जानकारी नहीं रही है। विचारण न्यायालय से अपीलान्ट के पास दावा के सम्मन व दावा की प्रति लेकर भी तामील कुनिन्दा नहीं गया। उक्त तथ्य की ताईद विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं से भी होती है। इस प्रकार अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय नहीं हुआ है। अपीलान्ट को श्री मदन सिंह राठौड़ एडवोकेट ने भी कभी दावा के बाबत अथवा जवाब दावा देने बाबत कोई लिखित व मौखिक रूप से सूचना नहीं दी है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

व डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भुल की है। निर्णय फर्द अहकाम पर लिखा गया है। पक्षकारान के नाम व पत्ते दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के प्रावधानों की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने कब्जे के बिन्दु व मियाद के बिन्दु को तय किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने अपने पिता की मृत्यु के करीब 20 साल बाद दावा किया है। कानून से दावा में प्रतिवादी पक्ष द्वारा मियाद के बिन्दु का एतराज न करने की सुरत में भी न्यायालय का दायित्व है कि मियाद के बिन्दु को तय करे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने दावा में यह दर्ज किया है कि उनके पिता की मृत्यु दिनांक 18.08.1994 को हुई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने अपने पिता की मृत्यु से अन्दर मियाद 12 साल दावा पेश नहीं किया और दावा मियाद बाहर रहा है। दावा दायरी के रोज व पहले तथा बाद में जमीन जैर बहस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का भौतिक कब्जा नहीं रहा व न है। अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का अनुतोष नहीं चाहा गया। कब्जे के अभाव में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का दावा उनकी प्लींडिग के मुताबिक ही चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की यह प्लींडिग रही है कि सुरेती (हरियाणा) में उनकी पैतृक भूमि रही है जो उन्हें उनके पिता की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार में मिली। विवादित जमीन की रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 को जानकारी नहीं रही हो ऐसा कथन नहीं है। इससे यह साबित है कि विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने कोई हक क्लेम नहीं किया और अपने हक **Vaive** कर दिये अन्यथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 अपने पिता की मृत्यु होते ही जमीन जैर बहस में हक क्लेम करते। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद घोषणार्थ, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 55 गत हाल खसरा नम्बर 178 वाके ग्राम बलौदा का पेश किया। विचारण न्यायालय में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादियागण द्वारा पैतृक आधार पर पिता की सम्पत्ति में विरासतन अधिकार चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादियागण व प्रतिवादिया नम्बर 3 स्व. झुथाराम की पुत्रियां है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 उसके पुत्र है। वादियागण के पिता स्व. झुंथाराम के नाम से भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 5.42 है. वाके ग्राम बलोदा की जो पक्षकारान पैत्रिक सम्पत्ति है। झुंथाराम का स्वर्गवास होने पर इन्तकाल खसरा नम्बर 98 दिनांक 11.07.95 को कर्णसिंह, विजयपाल दो पुत्रों के नाम से तस्दीक किया गया जो कि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 झुंथाराम की पुत्रियां होने के कारण उनके नाम से भी नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। पिता के नाम से पैत्रिक सम्पत्ति में उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा निहित होता है। उक्त विवादित आराजियात के वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की सहखातेदारी की भूमि है। एक पिता की सम्पत्ति में उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा निहित होता है। स्व. झुथा के वारिसान में चार पुत्रियां व दो पुत्र है। जिनका सभी का हक हिस्सा होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 कर्णसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि क्रय की है। प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने वाले विधिक अधिकारों के फुट स्टेप पर अपीलान्ट के अधिकार तय होने है। विचाराधीन निर्णय को चुनौती देकर अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद घोषणार्थ, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 55 गत हाल खसरा नम्बर 178 वाके ग्राम बलौदा का पेश किया। विचारण

न्यायालय में वादियागण द्वारा पैतृक आधार पर पिता की सम्पत्ति में विरासतन अधिकार चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 28.02.2023 को धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जा चुका है। इस आदेश के विरूद्ध माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जो निर्णय दिनांक 10.10.2023 से खारिज की जा चुकी है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादियागण व प्रतिवादिया नम्बर 3 स्व. झुथाराम की पुत्रियां है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 उसके पुत्र है। वादियागण के पिता स्व. झुंथाराम के नाम से भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 5.42 है. वाके ग्राम बलोदा की जो पक्षकारान पैत्रिक सम्पत्ति है। झुंथाराम का स्वर्गवास होने पर इन्तकाल खसरा नम्बर 98 दिनांक 11.07.95 को कर्णसिंह, विजयपाल दो पुत्रों के नाम से तस्दीक किया गया जो कि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 झुंथाराम की पुत्रियां होने के कारण उनके नाम को भी सम्मिलित करते हुये नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। पिता के नाम से पैत्रिक सम्पत्ति में उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा निहित होता है। उक्त विवादित आराजियात के वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की सहखातेदारी की भूमि है। एक पिता की सम्पत्ति में उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा निहित होता है।

स्व. झुथा के वारिसान में चार पुत्रियां व दो पुत्र है। जिनका सभी का हक हिस्सा होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर प्रत्येक वारिसान का 1/6–1/6 हिस्सा डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

अपीलान्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 कर्णसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि क्रय की है। प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने वाले विधिक अधिकारों के फुट स्टेप पर अपीलान्ट के अधिकार तय होने है। विचाराधीन निर्णय को चुनौती देकर अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर